

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

1. पेज तक पहुँचनेमें काफी देर लगने पर मुझे क्या करना चाहिए?

इंटरनेट पर ऑनलाइन आवेदन के लिए स्पीड, कई चीज़ों जैसे कि इंटरनेट की स्पीड, एक ही समय पर बड़ी संख्या में आवेदकों द्वारा रजिस्टर कराने के लिए प्रयास करना आदि पर निर्भर होती है। इसलिए, यदि आप रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत पेज पर न जा सकें, तो कृपया 15 मिनट बाद फिर प्रयास करें या रात में ऑफ-पीक समय के दौरान प्रयास करें। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो, और यह कम से कम 1 एमबीपीएस हो।

2. मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन रजिस्टर्ड हो गया है?

रजिस्ट्रेशन में पाँचचरण हैं। आपका रजिस्ट्रेशन, फीस के भुगतान और फोटो अपलोड सहित सभी चरण पूरे होने पर ही सफल होगा। रजिस्ट्रेशन सफल होने पर आपको एक ईमेल और एसएमएस अलर्ट मिलेगा। आरंभिक रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी। कृपया इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें क्योंकि बाद में सभी लॉगिन केवल रजिस्ट्रेशनआईडी और आपकी जन्मतिथि पर ही आधारित होंगे। कृपया नोट करें कि सफल रजिस्ट्रेशन का यह अर्थ नहीं है कि आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। पात्र/अस्वीकृति स्थिति जांच के बाद पता चलेगी।

3. मुझे मेरे आवेदन के रजिस्ट्रेशन की सूचना देने वाला ईमेल नहीं मिल?

रजिस्ट्रेशनआईडी स्वतः प्रत्युत्तर पुष्टि ईमेल द्वारा भेजी जाती है। इन ईमेल की डिलीवरी, दी गई ईमेलआईडी की सत्यता, आपके ईमेल सेवाप्रदाता द्वारा स्वीकार करने की नीति, तथा ऐसी ईमेल को बल्क या स्पैम मेल में भेजने या हमारे आवेदनों द्वारा निर्मित बड़ी संख्या में ईमेल के कारण ऐसी मेल वापस कर देने पर निर्भर होती है। यदि सरकारी/प्राधिकृत/कंपनी की ईमेल आईडी, आपकी कंपनी की नीतियों द्वारा नियंत्रित है, तो कृपया अपने बल्क या स्पैम फोल्डर की जांच कर लेने के बाद ही, यदि आप अपने रजिस्ट्रेशन पर आगे बढ़ने में अक्षम हों तो हेल्पडेस्क से संपर्क करें।

4. EN 01/2016 के लिए मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ। कांस्टेबल/ आरपीएफ-01/2018 के लिए रजिस्ट्रेशन कराने हेतु मैं किस तरह आगे की कार्यवाही करूँ?

कांस्टेबल/ आरपीएफ- 01/2018 के रजिस्ट्रेशन पोर्टल में अधिसूचना सं.01/2016 में पहले ही आवेदन कर चुके महिला अभ्यर्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें। वह समूह चुनें जिसमें आप आवेदन के इच्छुक हों। EN 01/2016 हेतु आपकी जारी रजिस्ट्रेशन संख्या और जन्मतिथि से लॉगिन करें और अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर आगे कार्यवाही करें।

5. EN 01/2016 के लिए मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ। लेकिन मैं अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भूल गया हूँ। मैं उसे कैसे फिर से प्राप्त कर सकता हूँ?

EN 01/2016 अभ्यर्थियों के लिए लॉगिन पोर्टल में 'रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त करें' बटन पर क्लिक करें। EN 01/2016 की आपकी रजिस्ट्रेशन संख्या जानने के दो तरीके हैं: 1) आपका नाम, माता का नाम, और जन्मतिथि, जैसा EN नं.01/2016 में रजिस्टर्ड हो 2) आपकी ईमेल आईडी और जन्मतिथि जैसा EN नं.01/2016 में रजिस्टर्ड हो। इन दो में से किसी तरीके का उपयोग करके, आप EN 01/2016 की अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या जान सकते हैं और कांस्टेबल/आरपीएफ – 01/2018 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं।

6. मैं अपना आवेदन सहेजे जाने की प्रतिपुष्टि कैसे करूँ?

यदि आवेदन सफल रूप से पूरा होने के बारे में आपको कोई संदेह हो, तो अभ्यर्थियों को राय दी जाती है कि वे आवेदन प्रिंट करने वाले पेज पर जाएं, प्रिंटआउट निकालें, और आवेदन की हार्ड कॉपी (प्रिंटआउट) सुरक्षित रख लें।

7. पूरा फार्म भरने के बाद, मेरी स्क्रीन ब्लैक/इंटरनेट डिस्कनेक्टेड/मेरा पीसी बंद/हैंग/शटडाउन हो गया। क्या मेरा आवेदन सहेजा/रजिस्टर्ड हो गया है?

कृपया प्वाइंट नं.6 देखें। यदि आपने आवेदन प्रिंट करने के विकल्प द्वारा आवेदन का प्रिंटआउट नहीं लिया है, तो आपका आवेदन सहेजा नहीं गया है। कृपया फिरसे आवेदन करें।

8. स्वतः प्रत्युत्तर वाले ईमेल का उत्तर देते समय मुझे कौनसे विवरण ध्यान में रखने चाहिए?

आपको स्वतः प्रत्युत्तर वाले ईमेल का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कृपया अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी सुरक्षित रखें, जो भविष्य में आवेदन रिप्रिंट करने, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने आदि के लिए लॉगिन करने हेतु आपका मुख्य आधार है।

9. समस्या के बारे में लिखते समय मुझे कौनसे विवरण देने चाहिए?

हमें लिखते समय कृपया निम्न विवरण जरूर उपलब्ध कराएं: (1) रजिस्ट्रेशन संख्या (2) रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जैसा आवेदन में दर्ज किया गया हो। यदि किसी एरर मैसेज (त्रुटि संदेश) के कारण आवेदन विफल हुआ है, तो हम वह विशिष्ट त्रुटि संदेश भी देखना चाहेंगे। इसके अलावा, आप प्रयोग किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज एक्सपी, विस्टा, लाइनक्स आदि, तथा इंटरनेट ब्राउजर और संस्करण; जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 6.0, मोजिला 3.0, फायरफॉक्स 3.5 आदि के ब्यौरे भी प्रदान कर सकते हैं।

10. मैं फीस (शुल्क) से छूट प्राप्त अभ्यर्थी हूँ क्या मुझे भी शुल्क का भुगतान करना चाहिए?

हां, शुल्क का भुगतान, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। ₹.500/- का शुल्क छूट रहित अभ्यर्थियों द्वारा और ₹.250/- का शुल्क छूट प्राप्त अभ्यर्थियों (महिलाओं, अनु. जा./अनु. जनजा., पूर्वसेवारत, आर्थिक पिछड़े वर्ग, और

अल्पसंख्यकअभ्यर्थियों) द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान जमा किया जाना चाहिए, जिसे अभ्यर्थी द्वारा सीबीटी हेतु उपस्थित होने पर वापस कर दिया जाएगा।

11. क्या परीक्षा शुल्क प्रतिदेय (रिफंडेबल) है?

शुल्क में रियायत वाली श्रेणियों के सिवाय सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू.500 है, जिसमें से रू.400 की धनराशि का रिफंड, अभ्यर्थी के सीबीटी में उपस्थित होने पर, उचित बैंक प्रभारों की कटौती करने के उपरांत किया जाएगा।

अनु. जा./अनु. जनजा., पूर्वसेवारत/महिलाओं/अल्पसंख्यकों/आर्थिक पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, परीक्षा शुल्क रू.250 है, जिसे अभ्यर्थी के सीबीटी में उपस्थित होने पर, उचित बैंक प्रभारों की कटौती करने के उपरांत रिफंड किया जाएगा।

12. मैं आवेदन में भरे विवरण बदलना/सही करना चाहता हूँ?

आपको अपना रजिस्ट्रेशन बहुत सावधानी से भरना चाहिए। यदि अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के उपरांत आप अपने आवेदन में कोई विवरण बदलना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल के होम पेज पर 'आवेदन संशोधित करें' बटन चुनना होगा।

अपना आवेदन संशोधित करने के लिए आपको रू.250/- का अप्रतिदेय शुल्क जमा करना होगा। शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक करने के उपरांत आप अपना आवेदन संपादित कर सकते हैं और कोई आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। हालांकि आप अपना आरपीएफ जोनल ग्रुप, रजिस्ट्रेशन संख्या, ईमेलआईडी और मोबाइल नंबर संशोधित नहीं कर सकते, जिससे आपने रजिस्ट्रेशन कराया है।

13. मेरा आवेदन संशोधित करने पर क्या मुझे परीक्षा शुल्क का दोबारा भुगतान करना होगा?

शुल्क से छूट प्राप्त अभ्यर्थियों सहित, सभी अभ्यर्थियों हेतु संशोधन के लिए रू. 250/- का अप्रतिदेय शुल्क लागू है।

विवरण संशोधित करने पर, यदि परीक्षा शुल्क में छूट हेतु आपकी पात्रता नहीं रह जाती है तो आपको रू.500/- परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। आपके द्वारा पहले जमा किये गये परीक्षा शुल्क रू.250/-को रिफंड नहीं किया जाएगा।

इसके अलावा, विवरण संशोधित करने पर यदि आप परीक्षा शुल्क से छूट हेतु पात्र हो जाते हैं, तो आपके द्वारा पहले जमा किये गये परीक्षा शुल्क रू.500/-को रिफंड नहीं किया जाएगा और आपको परीक्षा शुल्क के रूप में रू.250/- का फिर से भुगतान नहीं करना होगा।

14. क्या बैंक खाता विवरण भरना अनिवार्य है?

हां, आवेदन में बैंक खाता विवरण भरना अनिवार्य है। संबंधित राशि का रिफंड आपके आवेदन में उल्लेखित लाभार्थी के खाते में ही किया जाएगा। यह रिफंड केवल सीबीटी में उपस्थित होने पर ही दिया जाएगा।

15. आवेदन संशोधित करने के विकल्प में क्या मैं अपना आरपीएफ जोनल ग्रुप बदल सकता हूँ

नहीं, आप अपने आवेदन में एक आरपीएफ ग्रुप बदलकर दूसरा आरपीएफ ग्रुप नहीं चुन सकते। आरपीएफ ग्रुप का एक बार किया गया चयन अंतिम होगा।

16. मैंने डाक चालान द्वारा शुल्क का भुगतान किया है। क्या अब कोई अन्य प्रक्रिया करनी होगी जैसे कि रसीद/जर्नल नंबर को ऑनलाइन दर्ज करना?

नहीं, सफल भुगतान कर देने के बाद अपने भुगतान के सत्यापन हेतु कृपया दो कार्यदिवसों तक प्रतीक्षा करें। एक बार आपका भुगतान सत्यापित हो जाने पर, आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के होम पेज पर 'अभ्यर्थी द्वारा लॉगिन' लिंक के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन के आगे के चरणों की कार्यवाही कर सकते हैं।

17. ऑनलाइन भुगतान करते समय, कम्प्यूटर संबंधी किसी समस्या के कारण मैं भुगतान नहीं कर सका। मैं परीक्षा शुल्क का भुगतान डाकघर या एसबीआई बैंक के माध्यम से ऑफलाइन करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कृपया मेरी सहायता करें।

आप भुगतान का प्रकार संशोधित कर सकते हैं, और उसके अनुसार भुगतान कर सकते हैं।

18. मैंने अपना आवेदन प्रिंट नहीं किया है? मैं इसे कहाँसे पा सकता हूँ?

आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल के होम पेज पर आवेदन प्रिंट करने के विकल्प द्वारा लॉगिन करके अपने आवेदन का प्रिंटआउट ले सकते हैं, यदि आपका आवेदन पूर्ण किया गया है।

19. "फोटोग्राफ पर नाम के नीचे मुद्रित तिथि" का क्या अर्थ है?

फोटोग्राफ में मुद्रित तिथि, फोटोग्राफ लिए जाने की तिथि दर्शाती है, और यह 01-12-2017 या उसके बाद की ही होनी चाहिए। फोटोग्राफ के बारे में विस्तृत निर्दिष्टियों के लिए सीईएन देखें।